

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: गंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
email : higher-education@cg.gov.in

-- 0 --

क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /10/2021

05 OCT 2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात् सीट संख्या
1.	शास. शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा	बी.एस.सी. (विज्ञान)	158	30	188
		एम.एस.सी. (वनस्पति शास्त्र)	20	20	40
		बी.ए.	200	50	250
		एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	20	50
		बी.कॉम	70	15	85
		एम.कॉम	30	15	45
2	शास. महाविद्यालय, दुर्गकोंदल	बी.एस.सी. (वायो)	60	60	120
		बी.ए.	60	60	120
3	शास. लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अंवागढ़ चौकी	बी.एस.सी. (वायो)	150	10	160


उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जाएगी:-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।

क्रमशः....2

//2//

3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।


(ए.आर.खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/09/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 154/45/आउशि/योजना/2021-22, दिनांक 05.10.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-कांकेर/राजनांदगांव/वालोद(छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य,
4. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इकावती नगम, नवा दयपुर, अरुण नगद, जिला-दयपुर (80000)

क्रमांक 164/45/आउशि/योजना/2021-22

अटल नगर, दिनांक 08/10/2021

प्रति,

✓ समस्त प्राचार्य
 संबंधित शासकीय महाविद्यालय
 उत्तीसगढ़

विषय:- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-88/2021/38-1 दिनांक 05.10.2021

-----00-----


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों के निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है:-

क्र	महाविद्यालय का नाम	सीट वृद्धि हेतु प्रस्तावित विषय/संकाय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1	शास. शहीद गंदसिंह महाविद्यालय, चारामा	बी. एससी (विज्ञान)	158	30	188
		एम.एससी (वनस्पतिशास्त्र)	20	20	40
		बी.ए.	200	50	250
		एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	20	50
		बी.कॉम.	70	15	85
		एम.कॉम.	30	15	45
2	शास. महाविद्यालय, दुर्गकोदल	बी. एस.सी. (वायो)	60	60	120
		बी.ए.	60	60	120
3	शास. लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अम्यागढ़ चौकी	बी.एस.सी.(वायो)	150	10	160

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से यहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।

संलग्न- संदर्भानुसार


 सहायक संचालक(वित्त)
 उच्च शिक्षा संचालनालय